



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-19112025-267805
CG-MH-E-19112025-267805

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5099]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 18, 2025/कार्तिक 27, 1947

No. 5099]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 18, 2025/KARTIKA 27, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 7 नवम्बर, 2025

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 7A के तहत

का.आ. 5270(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी, "पुणे-दौंड: - पुणे मंडल के अंतर्गत पुणे-दौंड अनुभाग के बीच किमी 239/0-1 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या क्र 10A के बदले आरओबी का निर्माण" "विशेष रेलवे परियोजना" की विशेष रेल परियोजना के भूमि अधिग्रहण करने हेतु महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिला में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी भूसंपादन	तालुका	गांव
1.	उप-विभागीय अधिकारी दौंड, जिला- पुणे	दौंड	खुटवाव

[फा. सं. G197/Pune-Daund/LC No.10A/Khutwav/RSP/7A]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Central Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 7th November, 2025

Under clause 7A of the Railway (Amendment) Act, 2008

S.O. 5270(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (No.11 of 2008), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as “**Competent Authority**” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project “**Pune-Daund: - Construction of ROB in lieu of LC gate no. 10A at Km. 239/0-1 on Pune-Daund section**” in **Pune District** mentioned in Column of the said table for the public purpose of execution maintenance, Management and operation of such special Railway Project.

TABLE

S.N.	Competent authority land acquisition	Taluka	Village
1	Sub-Divisional Officer Daund, District-Pune	Daund	Khutwav

[F. No. G197/Pune-Daund/LC No.10A/ Khutwav/RSP/7A]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)